न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–44/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. झम्मन पुत्र चेता जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. मटरू पुत्र चेता जाति ब्राहमण,
2. लच्छीराम पुत्र मूला जाति धोबी निवासीयान ग्राम मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
3. उपपंजीयक महोदय कठूमर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर

.....रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. अभिभाषक अपीलांट श्री मूलचन्द चौधरी।
2. अभिभाषक रेस्पो0:– उपस्थित नही।

अपील सं0:–45/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. झम्मन पुत्र चेता जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. मटरू पुत्र चेता जाति ब्राहमण,
2. लच्छीराम पुत्र मूला जाति धोबी निवासीयान ग्राम मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर
3. उपपंजीयक महोदय कठूमर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर

.....रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
1. अभिभाषक रेस्पो0:– उपस्थित नही।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.02.2020

यह दोनों अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.05.2018 एवं 25.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 संख्या 01 ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद तकसीम आराजी का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 1523 रकबा 0.08 है., 1524 रकबा 0.77 है., 1572 रकबा 0.89 है., 1620 रकबा 0.28 है0, 1627 रकबा 0.27 है., 2118 रकबा 0.10 है., वाके ग्राम मसारी का वादी रेस्पो0 संख्या 1 व प्रतिवादी अपीलांट की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी खसरा नंबर 737 में वादी रेस्पो0 व प्रतिवादी अपीलांट का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 2 का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी की है जिसका कानूनी तकासमा नही हुआ एवं अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का तकासमा किये जाने की डिक्री चाही। जिस पर वाद तलबी मिन अपीलांट ने जबाव पेश किया गया एवं बिना मिन अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना कोई सूचना दिये वाद की पत्रावली को कैम्प कोर्ट में लगा कर प्रारम्भिक डिक्री का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई। इन दो अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु समान हैं अतः निर्णय के बिन्दु समान होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावे के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन हैं कि मिन वादी ने उक्त वाद में जबाव पेश किया कि वादी रेस्पो0 संख्या 1 व मिन प्रतिवादी अपीलांट में उपरोक्त आराजीयात का बहामी करीब 60 वर्ष पूर्व तकासमा हो चुका है तथा बहामी तकासमा के अनुसार उपरोक्त आराजीयात में अपीलांट ने अपने आवासीय मकान बना रखे हैं। पूर्व तकासमा के अनुसार आराजी खसरा नंबर 2118 रकबा 10 ऐयर पर अपीलांट का कब्जा है। उपरोक्त पारिवारिक बंटवारे में खसरा नंबर 2118 रकबा 5 ऐयर वादी रेस्पो0 ने अपने हिस्से को प्रतिवादी अपीलांट ने ग्राम में बने पक्के मकान वादी रेस्पो0 को देने की ऐवज में 5 ऐयर भूमि अपीलांट को दे दी जिस पर खसरा नंबर 2118 पर अपीलांट का कब्जा है तथा खसरा नंबर 1627 पूर्ण रकबा 27 एंयर पर भी प्रतिवादी अपीलांट का कब्जा है, क्योंकि उक्त खसरा नंबर साबिक 1663 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 748/2561 बना है, वह संयुक्त

खातेदारी की थी परन्तु सेटलमेंट विभाग ने गलती से धूपसिंह फकीर के नाम हो गई। जिसकी दुरूस्ती का दावा करने की बजाय फकीर को बेचान कर दिया। जिसकी रकम वादी रेस्पो0 ने प्राप्त कर ली एवं उसकी ऐवज में खसरा नंबर 1627 रकबा 27 ऐयर प्रतिवादी रेस्पो0 को देकर कब्जा करा दिया तथा इस पर अपीलांट के मकान बना हुआ है, आवास कर रहा है। उपरोक्त प्रकार पूर्व में बंटवारा हो गया था तथा प्रतिवादी अपीलांट के हिस्से में 1.38 है0 रकबा आया तथा वादी रेस्पो0 के हिस्से में 1.01 है0 आराजी आई हुई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट प्रतिवादी के जबाव को देखे गलत रूप से प्रारम्भिक डिक्री का आदेश पारित किया है।प्रतिवादी अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अपना जबाव पेश कर दिया गया तो दावा व जबाव दावा के हिसाब से विवाद्यक बनाये जाकर साक्ष्य का मौका दिया जाना चाहिये था तथा साक्ष्य के बाद ही प्रारम्भिक डिक्री के आदेश करने चाहिये थे।दिनांक 10.05.17 को उक्त प्रकरण का वाद कैम्प कोर्ट अदालत में लगा जिसमें पक्षकार सहमत नही होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नही हो सका। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः कैम्प कोर्ट में दिनांक 15.05.2018 को पत्रावली लगाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया। कैम्प कोर्ट में केवल सहमति के आधार पर ही निस्तारण करना चाहिये था। कैम्प कोर्ट का अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया एवं बिना हस्ताक्षर के ही पक्षकार के वकुलाय उपस्थित साक्ष्य पेश नही करना चाहते, गलत रूप से लिखकर मनमर्जी से आदेश पारित कर दिया। कानूनन पक्षकार जिस प्रकार मौके पर काबिज है उसी अनुसार डिक्री हेतु आदेश दिये जाने चाहिये थे जबकि मिन अपीलांट ने जबाव में भी मौके अनुसार आराजी को तकसीम करने हेतु निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश , आदेश की श्रेणी में नही आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का आदेश दिनांक 15.05.2018 बाबत प्रारम्भिक डिक्री निरस्त फरमाया जावे।उन्होंने अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये।

आरआरटी 2017(1) पेज 221, आरआरटी 2016–17 सप. पार्ट पेज 711, आरआरटी 2017(1) पेज 610, आरआरडी 2013 पेज 714.

हमने एकपक्षीय अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 का अवलोकन किया।अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया।अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1523, 1524, 1572, 1620, 1627, 2118 खतौनी संख्या 267 व खसरा नंबर 737 खतौनी नंबर 102 जमाबंदी संवत 2070 ग्राम मसारी तहसील कठूमर झम्मन, मटरू पिता चेता ब्राहमण बगैरह के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 16.08.2016 में प्रतिवादी संख्या 02 के अतिरिक्त तलबी व जबावदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में नियत थी। पत्रावली दिनांक 26.04. 2017 को प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी में थी। दिनांक 10.05.2017 को लोक अदालत में सहमति नही हो सकने का अंकन आदेशिका में अंकित है। पत्रावली पुनः दिनांक 23.04.2018 में तलबी में थी व कैम्प कोर्ट/लोक अदालत में प्रति. संख्या 02 के बिना जबाव व उभयपक्षकार के बिना साक्ष्य के आदेश सुनाया गया।

इस प्रकार प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट दिनांक 15.05.2018 में बिना पक्षकारों की तामील के, बिना विवाद्यक बिंदुओं की रचना किये, बिना साक्ष्य लिये हुये व बिना सहमति के ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुये एवं बिना प्राकृतिक न्याय के अनुसार सुनवाई का अवसर देते हुये प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। कानूनन लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति या राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर बिना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खण्ड 53 के नियम 18–21 की पालना करते हुये प्रकरण को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया गया।

इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 15.05.2018 एवं 25.05.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुये, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खण्ड 53 के नियम 18–21 की पालना सुनिश्चित करवाते हुये विधिक प्रकिया अपनाते हुये गुणावगुण पर पुनः अपना निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर